



**शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नाकोत्तर महाविद्यालय
सूरजपुर, जिला - सूरजपुर (छ.ग.)**



**छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को निम्न
शुल्क महाविद्यालय के पास अग्रिम जमा करना होगा**

01. छात्रावास के कमरे का अधिभार (एक से अधिक)	--	27.00 प्रतिमाह
02. एक सीट वाले कमरे का अधिभार	--	48.00 प्रतिमाह
03. प्रवेश शुल्क (केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार प्रवेश ले रहे हैं)	--	10.00 प्रतिमाह
04. छात्रावास विकास राशि (यह राशि छात्रावास के खेलकूद, अध्ययन कक्ष एवं कार्यकलापों में खर्च होगी तथा बची हुई राशि छात्रावास के विकास में खर्च की जाएगी। यदि अधिक खर्च हुआ तो विद्यार्थी से ली जाएगी)	--	300.00 प्रतिमाह
05. छात्रावास निर्धन सहायता शुल्क	--	05.00 प्रतिमाह
06. छात्रावास फण्ड	--	10.00 प्रतिमाह
07. अमानत राशि	--	2000.00 एकबार
08. विद्युत व्यव	--	600.00 प्रतिमाह
कुल राशि	--	3000

प्राचार्य
आदेशानुसार



छात्रावास की नियमावली

01. प्रत्येक छात्रावासी का दायित्व है कि वह परिसर में शांति बनाये रखे।
02. छात्रावासी को दिये गये फर्नीचर के सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी छात्रावासी की होगी। टूट-फूट के मरम्मत तथा प्रतिस्थापना का खर्च सम्बंधित छात्रा द्वारा देय होगा।
03. प्रकाश के लिए आवश्यक बल्ब के अतिरिक्त इस्त्री, हिटर आदि का प्रयोग वर्जित होगी।
04. शाम छः (6.00) बजे के बाद बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
05. छात्रावास छोड़ने के लिए अधीक्षक की लिखित अनुमति आवश्यक होगी।
06. छात्रावास के मेस में भोजन करना आवश्यक होगा।
07. छात्रावास में मादक द्रव्यों का उपयोग वर्जित है।
08. रैगिंग दण्डनीय अपराध है।
09. प्रत्येक छात्रावासी अपना व्यवहार मधुर रखेगा एवं किसी मांग या कठिनाई के लिए आंदोलन का सहारा नहीं लेगा।
10. पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों का अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा जो अनुत्तीर्ण होने पर स्वतः निरस्त माना जाएगा।
11. छात्रावास में केवल एक ही शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश दिया जाता है अतएव प्रत्येक सत्र में नवीन आवेदन करना होगा।
12. समयानुसार निकलने वाले शासकीय आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। मैंने उपरोक्त नियम पढ़ लिए हैं और स्वीकार करती हूँ।

आदेशानुसार
प्राचार्य



शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नाकोत्तर महाविद्यालय
सूरजपुर, जिला - सूरजपुर (छ.ग.)



महिला उत्पीड़न तथा यौन शोषण संबंधी

01. अरूचिकर यौन भावना से प्रेरित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किये
- 02 गये सभी व्यवहार।
- 03 यौन अनुग्रह की मांग।
- 04 यौन अर्थ में रंजित फब्तियाँ।
- 05 अश्लील चित्र दिखाना।
- 06 कोई अन्य अरूचिकर यौन भावना से प्रेरित, शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक सम्पर्क।
- 07 ऐसा यौन उत्पीड़न जो अपमान, स्वास्थ्य या सुरक्षा का भय दिखाकर किया जाये।
- 08 ऐसा यौन उत्पीड़न जो हानिकारक परिणामों की चेतावनी/धमकी देकर किया जाये।
- 09 छेड़खानी करना।
- 10 किसी स्त्री की स्वतंत्रता को भंग करने का प्रयत्न करना।
- 11 भद्दा मजाक करना।
- 12 फोन पर अश्लील बात करना।
- 13 यौन उत्पीड़न, यौन अपराध होने पर शीघ्र शिकायत दर्ज करायें।

आदेशानुसार
प्राचार्य